

07/01/2024 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित।
 वकील अप्रार्थी गैर हाजिर। वकील प्रार्थी
 ने बहस सुनाने हेतु निवेदन किया।
 उपस्थित में वकील अप्रार्थी को रिमांड
 भेज दिया जाकर पत्रावली पेश
 बहस दिनांक 28/01/2024 को रखी
 जावे। निम्न तरीक़े को वकील अप्रार्थी
 अनुपस्थित रहने पर एक तरफ़ा बहस
 सुनी जावेगी। पत्रावली 28/01/2024
 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर एवं
 अखण्ड अधिकारी, बावड़ी

28/1/24 वकील प्रार्थी उप०। वकील
 अप्रार्थी अनुपस्थित। वकील
 प्रार्थी ने बहस सुनी
 गई।

25/2/24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं
 प्रार्थीगण अनुपस्थित। न्यायालय द्वारा
 वार-वार आवाज लगाई गई। कोई
 उपस्थित नहीं। पत्रावली अदम हाजिरी
 अदम पैरवी में खारिज की जाती है।
 पत्रावली फैसल सुमार होकर दारिजल
 दफ़्तर हो नम्बर सी कम ही। फैसला
 सुनी न्यायालय में अनुजाया गया।

